में जारी हुए

वकील वादी की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु नियत दिनांक 27.2.20 को पेश हो।

27.2.20 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, वकील वादी बहस के दौरान बताया कि वर्णित आराजियात मे प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 के पिता को अपने पिता जी के विरासत मे प्राप्त 1/2 हक हिस्से का विक्रय कर दिया है इस कारण उक्त दोनो आराजी नम्बर मे प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 के पिता का कोई हक हिस्सा शेष नही रहा किन्तु राजस्व रेकार्ड मे गलत प्रतिवादीगण का नाम अंकित हो गया है। जब कि उक्त आराजियात मे प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही होकर एकमात्र वादी ही मालिक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है इसलिए राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 का नाम विलोपित कर वादी को उक्त सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अंकन किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया एंव शपथ पत्र पर मनन किया, वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोर द्वितीय परवार हल्का द्वितीय तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं. 5803 रकबा 07 बिस्वा, एंव आराजी नं. 5804 रकबा 18 बिस्वा कुल

सहायक कलक्टर
माण्डल जिला भीलवाड़ा

वि.ता 02 कुल रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 का कोई हक, हिस्सा शेष नहीं रहने से राजस्व रेकार्ड की इन्द्राज दुरस्ती करते हुए प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मांडल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
मांण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.30 16:59:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: